न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 79/2011 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

रामस्वरूप पुत्र देवीराम जाति लोधा निवासी पांडुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....**अपीलान्ट्स**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।
2. शिवसिंह पुत्र रामप्रसाद जाति लोधा निवासी पांडुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....**रैस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार रूपवास दिनांक 4.2.2011 बाबत किये जाने तरमीम खसरा नम्बर 277 वाकै ग्राम पांडुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :

1. श्री हेमराज शर्मा वकील अपीलान्ट।

2. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील रैस्पोडेन्ट।

दिनांक : 21.12.2017

निर्णय

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत नायब तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 4.2.2011 बाबत किये जाने तरमीम खसरा नम्बर 277 वाकै ग्राम पांडुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार रूपवास के द्वारा ग्राम पांडुरी के खसरा नम्बर 277 की दिनांक 4.2.2011 को तरमीम की गई है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। ख0नं0 277/3 रकबा 3 बीघा का अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उसकी अलग खातेदारी की भूमि में तरमीम कर रैस्पोडेन्ट नम्बर 2 को 1 बीघा 10 विस्बा भूमि देकर उसके हक में अपीलान्ट की खातेदारी के रकबे को तरमीम करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा उक्त खसरा नम्बर 277 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 277/5 रकबा 3 बीघा 17 विस्बा रिकार्डेट खातेदार है जिसके उत्तर में रैस्पो0 नं0 2 की खातेदारी का 277/4 रकबा 2 बीघा है तथा उसके उत्तर में अपीलान्ट का 277/3 रकबा 3 बीघा है। रैस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने स्कूल की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है जिसकी मौके पर नाप करके रैस्पो0 नं0 2 से मिलनी थी परन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बजाय नाप कर स्कूल की भूमि दिलाने के अपीलान्ट की भूमि को तरमीम करके 1 बीघा 10 विस्बा व 1 बीघा 10 विस्बा के दो टुकडों में बांट कर विभाजित कर दिया है। यह अपीलान्ट की भूमि छीनने का मात्र षडयन्त्र है अन्यथा तरमीम की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपीलान्ट को 1 वीघा 10 विस्बा भूमि खसरा नम्बर 277/10/1–10 बनाई है जबकि उक्त भूमि रैस्पो0 नं0 2 शिवसिंह को देनी चाहिऐ थी। अपीलान्ट ने न तो स्कूल की भूमि पर कब्जा किया न उसकी भूमि में आती है। अपीलान्ट के पास वेसी भूमि है तो फिर रैस्पो0 नं0 2 को अपीलान्ट की भूमि देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मौके पर यदि रैस्पो0 नं0 2 शिवसिंह की भूमि कम पडती है तो 277/10 नम्बर उसी को देना चाहिऐ था । ऐसा न करके तहत अदालत ने कानूनी भूल की है। इस प्रकार गलत तरमीम करने के दौरान न तो अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। यह कार्यवाही अपीलान्ट की बैक पर पारित की गई है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट को इसका पता दिनांक 4.7.2011 को तब चला जब रैस्पो0 नं0 2 ने कहा कि उसकी 3 बीघा भूमि में से निस्फ रकबा उसकी खातेदारी में करवा दिया है। अपीलान्ट द्वारा बाद कार्यवाही दिनांक 7.9.2011 को नकल प्राप्त की। इसलिऐ जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है जिसके लिये पृथक से दफा –5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र संलग्न किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन तरमीम आदेश दिनांक 4.2.2011 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत नायब तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन तरमीम आदेश दिनांक 4.2.2011 ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं रहती है। क्यों कि तहत अदालत ने वकायदा राजस्व कर्मचारियान की टीम गठित कर विवादित रकबे की नियमानुसार मौका निरीक्षण कर बाद पैमायश विधिवत तरमीम की गई है जो अपीलान्ट की वखूबी जानकारी एवं सहमति से हुई है। अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा की गई तरमीम को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई जबकि अपीलाधीन तरमीम किसी आदेश के प्रारूप में ही नहीं है। जब यह तरमीम आदेश की संज्ञा में नहीं आती तो श्रीमान के यहां अपील नहीं हो सकती। अपीलान्ट द्वारा तरमीम से पूर्व उसकी कितनी भूमि थी या तरमीम के बाद कितनी भूमि कम हो गई कोई ब्यौरा नहीं दिया है। अपीलान्ट ने इस आदेश के खिलाफ उपखण्डाधिकारी रूपवास के यहां अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा भी कर रखा है। अपीलान्ट के रकबे में काई भी कमी नहीं की गई है। यदि वह इस तरमीम से अपने रकबे की कमी मानता है तो सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अपने हक हकूक प्राप्त कर सकता है। जो कि अपीलान्ट द्वारा उपखण्डाधिकारी रूपवास के न्यायालय में पहले से ही कर रखा है। अतः तरमीम के आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं रहेगा। इस अपील प्रस्तुतीकरण की देरी के संदर्भ में भी अपीलान्ट संतोषजन कारण बताने में असफल रहे है। इसलिये अपील मियाद बाहर होने के कारण भी खारिज योग्य है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन तरमीम आदेश दिनांक 4.2.2011 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> ''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

'' Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। दौराने अवलोकन अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 4.2.2011 नायब तहसीलदार रूपवास द्वारा पारित किया जाना पाया गया है। इस तरमीम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज्ञा को अपीलान्ट द्वारा अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है। यह तरमीम आज्ञा आदेश के प्रारूप में है ही नहीं। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस आदेश से पूर्व अपीलान्ट के खातेदारी में कितनी भूमि थी और इस तरमीम के बाद कितनी भूमि कम हो गई है ? अपीलान्ट द्वारा इस बाबत उपखण्डाधिकारी रूपवास के न्यायालय में वाद दायर भी किया हुआ है। अपीलाधीन तरमीम आदेश 4.2.2011 में अपीलान्ट के पूर्व हिस्से को ही वदस्तूर रखा गया है उसमें कोई छेडछाड किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे में उक्त कार्यवाही में इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं पाते है। इसके अलावा उपखण्डाधिकारी रूपवास के न्यायालय में विचाराधीन दावा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय उपरान्त तदनुसार अपीलान्ट अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतन्त्र रहते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । तहत अदालत नायब तहसीलदार वैर का आदेश दिनांक 4.2.2011 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर